रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 714] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 31, 1989/कार्तिक 9, 1911
No. 714] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 1989/KARTIKA 9, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर 1989

बेंजाइडिन--आधारित रंजकों तथा उसके लवणों के प्रयोग का प्रतिषेध

का.आ. 881(अ).--केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 13 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रंगाई और रंग-प्रसंस्करण उद्योगों में बेंजाइडिन-आधारित रंजक द्रव्य के प्रयोग पर प्रतिषेध और निर्बंधन अधिसूचित करती है ।

बेंजाइडिन--आधारित रंजकों और रंग के मिश्रण का प्रयोग ।

1. लागू होना--यह अधिसूचना पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में दी गई परिभाषा के अनुसार प्रतिषिद्ध पदार्थों की उठाई-धराई, और उस आनुषंगिक प्रक्रिया के संबंध में लागू होगी जिसके दौरान ये पदार्थ निर्माण के अन्तर्गत प्रयोग किए जाते हैं ।

2. प्रतिषिद्ध पदार्थ--इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित रासायनिक पदार्थों को, सिवाय ऐसी स्थिति के जब वे एक प्रतिशत की कुल सान्द्रता में रासायनिक प्रतिक्रिया के उपोत्पाद के रूप में निर्मित हों अथवा विद्यमान हों, "प्रतिषिद्ध पदार्थ" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

(i) बैंजाइडिन और उसके लवण ; तथा

(ii) ऐसा पदार्थ जिसमें इनमें से कोई भी यौगिक शामिल हो ।

3. संक्षिप्त वर्णन--बेंजाइडिन और बेंजाइडिन हाइड्रोक्लोराइड, रंजकों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण मिश्रण है । बेंजाइडिन सफेद अथवा हल्के लाल रंग का क्रिस्टलीय पाउडर होता है जिसका लगनांक बिन्दु हल्का गर्म गर्म करने पर 115° सें. से 120° सें. होता है । वायु तथा प्रकाश के प्रभाव से इसका रंग काला पड़ जाता है । ये जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नाइट्रोबेंजाइडिन के कम करने से उत्पन्न होते हैं । प्राप्त हाइड्रोबेंजाइडिन को एसिड के साथ गरम किया जाता है और उसके यौगिकों में उनसे जुड़े दो अमीनों समूह सहित दो फिनोल होते हैं। इन्हें बाइफिनाइडिएमिन अथवा डाइएमिनोडाइ फिनाइल भी कहा जाता है। बेंजाइडिन आधारित वाणिज्यिक रंजकों में नारंगी (1), गहरा लाल (1),

गहरा लाल (13), गहरा लाल (28), गहरा नीला (2), गहरा नीला, गहरा भूरा (2), गहरा भूरा (95), गहरा काला (38) तथा एसिड लाल (85) शामिल हैं ।

4. रंजक तथा रंग मिश्रण—बेंजाइडिन और उससे व्युत्पन्न पदार्थों वाले सभी रंजकों और रंग-मिश्रणों को "उठाई-धर.ई" के लिए निषिद्ध किया जाएगा । बेंजाइडिन आधारित रंजकों, जिन्हें बेंजाईडिन-एजो रंजक भी कहा जाता है, को इस अधिसूचना के जारी किए जाने के तीन वर्ष के भीतर बन्द कर दिया जाना चाहिए ।

5. विस्तार—बेंजाइडिन आधारित रंजकों के प्रयोग पर प्रतिषेध पूरे भारत में लागू होगा ।

6. आक्षेप फाइल करना—जो भी व्यक्ति अधिसूचित खतरनाक पदार्थ के प्रयोग के निषेध और निबंधन लगाने के विरुद्ध कोई आक्षेप फाइल करने का इच्छुक है तो वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस दिन के भीतर संयुक्त सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को लिखित में देकर ऐसा कर सकेगा ।

[सं. 1-48/86 पी. एल/एच.एस.एम.डी)]
डा. जी. सुन्दरम् संयक्त सचिव,

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

(Department of Environment, Forests and Wildlife

New Delhi, the 31st October, 1989

NOTIFICATION

PROHIBITED ON THE USE OF BENZIDINE-BASED DYES AND ITS SALTS

S. O. 881 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 6 of the Employment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with rule 13 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the prohibition and restriction on the use of benzidine-based dyestuffs in the dying and colour processing industries.

The use of Benzidine based Dyes and Dye Intermediates.

1. Application—This notification shall apply in respect of the prohibited substance as defined in the Environment (Protection) Rules, 1986, handled and the process incidental thereto in the course of whirh these substances are formed or carried on.

2. Prohibited substances—For the purpose of this notification, the following chemical shbstances shall be classified as "prohibited substances" except when these substances are present or formed as by product of a chemical reaction in a total concentration not exceeding one per cent : -

(i) benzidine and its salts ; and

(ii) any substanice containing any of these compounds.

3. Brief description—Benzidine and Benzidine hydrochloride are important intermediates for the manufacture of dyes. Benzidine is white or slightly reddish crystalline powder with a melting point of 115°c to 120°c when slightly heated. It darkens on exposure to air and light. These are produced by the reduction of nitrobenzidine with zinc and sodium /hydroxide. The resulted hydrobenzidine is heated with the acid and its compounds have two phenols with two amino groups attached to them. These are also known as bipnenydiamine or diaminodiphenyl. Benzidine-based commercial dyes include direct orange (1), direct red (1), direct red (13), direct red (28), direct blue (2), direct blue, direct brown (2), direct brown (95), direct black (38) and acid red (85).

4. Dyes and dye-intermediates—All dyes and dye-intermediates containing benzidine and its derivatives shall be prohibited for "handling". The use of benzidine-based dyes also called as benzidine-azo dyes shall be required to be discontinued within three years from the time of issue of this notification.

5. Extension—The prohibition on the handling of benzidine-based dyes is applicable to whole of India.

6. Filing of objections—Any person interested in filing an objection against the imposition of prohibition or restrictions on the handling of hazardous substances as notified may do so in writing to the Joint Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhavan, Central Government Office Complex, Lodi Road, New Delhi-110 003, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. 1-48/86-PL/HSMD]

DR. G. SUNDARAM, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1989